



E-Mail : contact@vmsmandal.org

Web : www.vmsmandal.org

H.O. : Ramtek, Nagpur, Maharashtra- 441106

विदर्भ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नागपुर

VIDARBHA BOARD OF SECONDARY EDUCATION, NAGPUR

पत्रांक : वि०म०शि०मं० / का०आ० / ०३ / २०२३

दिनांक : ०९ / ०६ / २०२३

!! कार्यालय आदेश !!

विदर्भ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष स्वर्णदीप भावसार पुत्र सन्तोष भावसार तथा कार्यवाहक सचिव सचिन कोठे पुत्र शंकर कोठे निवासी कसरावद , जिला खरगोन (मध्यप्रदेश) को विदर्भ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के विरुद्ध कार्य करने का दोषी पाया गया । जिसमें उनके द्वारा संस्थापक महोदय बलदेव कौशिक की बिना अनुमति से छात्रों को नियम विरुद्ध ढंग / तरीके से प्रमाण-पत्र प्रदान करना सम्मिलित है ।

अतः विदर्भ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की विद्या परिषद की अनुशंसा एवं संस्थापक / अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन उपरान्त निम्नवत आदेश पारित किया जाता है :-

दिनांक १५ अक्टूबर २०२२ से लेकर ०९ जून २०२३ तक स्वर्णदीप भावसार एवं सचिन कोठे द्वारा जारी समस्त प्रमाण पत्र आमाम्य घोषित किये जाते हैं । उक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध मण्डल द्वारा विधिक कार्यवाही भी की जा चुकी है । विदर्भ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नागपुर के दि० १५-अक्टूबर २०२२ से पूर्व अध्यक्ष बलदेव कौशिक तथा सचिव अनिल कुमार पदाधिकारी थे । ०९-जून २०२३ से पुनः अध्यक्ष बलदेव कौशिक व सचिव अनिल कुमार ही हैं । मण्डल की स्थापना वर्ष से ही अध्यक्ष बलदेव कौशिक एवं सचिव अनिल कुमार ही रहे हैं । मण्डल के सविधान अनुसार अध्यक्ष एवं सचिव के पद आजीवन उन्हीं के पास सुरक्षित है । मृत्यु उपरान्त ही नये अध्यक्ष एवं सचिव की नियुक्ति मण्डल की नियमावली के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी । इस स्थिति में स्वर्णदीप भावसार एवं सचिन कोठे द्वारा किए गए नियमविरुद्ध कार्यों / गतिविधियों को अमान्य घोषित किया जाता है ।

वर्ष २०२३ की परीक्षाओं का संचालन सचिव श्री अनिल कुमार के कुशल नेतृत्व में हुआ तथा परिणाम घोषित किया गया । इस क्रम में यह तथ्य भी स्पष्ट करना अनिवार्य है कि मण्डल द्वारा जारी समस्त प्रमाण -पत्रों पर केवल श्री अनिल कुमार (सचिव) महोदय के हस्ताक्षर एवं मोहर ही मान्य होगी । यहाँ यह भी समस्त को स्पष्ट कराना है कि दिनांक १५-अक्टूबर २०२२ से ०९-जून २०२३ की अवधि में परीक्षा संचालन का कार्यभार सचिव अनिल कुमार के पास ही सुरक्षित था न कि किसी अन्य के पास ।



विशेष कार्यस्थ अधिकारी

०९/०६/२०२३